

राजस्व न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर जिला दौसा

पीठासीन अधिकारी : अमित कुमार वर्मा (आर.ए.एस.)

मुकदमा संख्या
30/23

तारीख रजू
26.06.23

तारीख निर्णय
26.12.24

बउनवान

1. ताराचन्द सैनी पुत्र स्व. चन्दरी निवासी गढहिम्मतसिंह तहसील मण्डावर जिला दौसा।
2. चन्दो देवी पत्नी स्व. चन्दरी निवासी गढहिम्मतसिंह तहसील मण्डावर जिला दौसा।
3. भगवानसहाय सैनी पुत्र स्व. चन्दरी निवासी गढहिम्मतसिंह तहसील मण्डावर दौसा।
4. राजेन्द्र सैनी पुत्र स्व. चन्दरी निवासी गढहिम्मतसिंह तहसील मण्डावर जिला दौसा।
5. कैलाशी पुत्री स्व. चन्दरी निवासी गढहिम्मतसिंह तहसील मण्डावर जिला दौसा।
6. बुगली पुत्री स्व. चन्दरी निवासी गढहिम्मतसिंह तहसील मण्डावर जिला दौसा।
7. भग्गो पुत्री स्व. चन्दरी निवासी गढहिम्मतसिंह तहसील मण्डावर जिला दौसा।
8. रूमाली पुत्री स्व. चन्दरी निवासी गढहिम्मतसिंह तहसील मण्डावर जिला दौसा।

..प्रार्थीगण

बनाम

1. तहसीलदार मण्डावर जिला दौसा।
2. बदरी सैनी पुत्र स्व. कन्हैया निवासी गढहिम्मतसिंह तहसील मण्डावर जिला दौसा।
3. छोटेलाल सैनी पुत्र स्व. मोज्या निवासी गढहिम्मतसिंह तहसील मण्डावर जिला दौसा।
4. पप्पूराम सैनी पुत्र स्व. मोज्या निवासी गढहिम्मतसिंह तहसील मण्डावर जिला दौसा।
5. बच्चू सैनी पुत्र स्व. बुद्धा सैनी निवासी गढहिम्मतसिंह तहसील मण्डावर जिला दौसा।
6. छोटा लाल सैनी पुत्र स्व. रामकुवार निवासी गढहिम्मतसिंह तहसील मण्डावर जिला दौसा।
7. खिलाडी सैनी पुत्र स्व. रामकुवार निवासी गढहिम्मतसिंह तहसील मण्डावर जिला दौसा।

..अप्रार्थीगण

उपस्थित :

1. अभिभाषक प्रार्थीगण – श्री शिवदत्त जैमिनी।
2. अप्रार्थी सं. 1 – तहसीलदार मण्डावर।




प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढी अन्तर्गत धारा 128

राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय


प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम 1956 प्रस्तुत किया गया कि प्रार्थीगण की खातेदारी कब्जा काश्त की आराजी भूमि खाता नया 169 पुराना 91 खसरा सं. 470/1040 रकबा 0.04 हैक्टे., 468 रकबा 0.58 हैक्टे. कुल खसरे 2 कुल रकबा 0.62 हैक्टे. के सम्पूर्ण रकबे पर काबिज है जो वाके ग्राम गढ हिम्मतसिंह, पटवार हल्का गढहिम्मतसिंह, तहसील मण्डावर जिला दौसा राजस्थान में स्थित है। प्रार्थीगण हिस्से की आराजी भूमि पर कब्जा काश्त हो कर अपने उपयोग-उपभोग


**उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)**

में लेते चले आ रहे हैं। उक्त भूमि के सटवा पूर्व दिशा में अप्रार्थी सं. 2 की आराजी भूमि, दक्षिण दिशा में आम रास्ता जो 13 फीट का रिकॉर्ड में दर्ज है, साथ ही अप्रार्थी सं. 3 लगायत 4 की आराजी भूमि सटवा स्थित है, पश्चिम दिशा में अप्रार्थी सं. 5 की आराजी भूमि एवं उत्तर दिशा में अप्रार्थी सं. 6 व 7 की आराजी भूमि सटवा स्थित है। आराजी सीमा विवाद एवं रिकॉर्डेड रास्ते को लेकर अप्रार्थीगण द्वारा, प्रार्थीगण के हिस्से की आराजी भूमि में स्थिति मेड तोड कर अवैध तरीके से जोत लगाकर आराजी भूमि पर कब्जा कर अनाधिकृत रूप से प्रवेश का प्रयास करना चाह रहे हैं। इसके साथ ही रिकॉर्ड में दर्ज 13 फीट के रास्ते पर भी अतिक्रमण करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। प्रार्थीगण के मना करने पर अप्रार्थी सं. 2 लगायत 5 लडाई झगडा करने पर आमामा हो गये हैं। प्रार्थीगण शांतिप्रिय व्यक्ति है इसका फायदा लेकर अप्रार्थी सं. 2 लगायत 5 प्रार्थीगण के हिस्से की आराजी भूमि पर एवं सटवा रिकॉर्डेड रास्ते पर भी अवैध कब्जा करने की कोशिश में है। प्रार्थीगण ने दिनांक 15.06.23 को अप्रार्थी सं. 2 लगायत 5 से अपनी-अपनी आराजी भूमि की सीमा का निर्धारण करवाने एवं रास्ते को रिकॉर्ड अनुसार चालू रखने हेतु सीमाज्ञान के साथ पत्थरगढी करवा कर राजस्व रिकॉर्ड अनुसार अपने हिस्से की आराजी भूमि पर कब्जा लेने तथा रिकॉर्ड में दर्ज रास्ते पर अतिक्रमण नहीं करने का अनुरोध किया परन्तु अप्रार्थी सं. 2 लगायत 5 एवं इनके परिजनों ने प्रार्थीगण की आराजी भूमि में क्षति व अवैध कब्जा करने की नीयत से सीमाज्ञान के साथ पत्थरगढी करवाने से इंकार कर दिया तथा खेत की मेढ को तोडने तथा रिकॉर्ड के रास्ते को रोकने हेतु लाठी, दरात एवं डंडों को लेकर प्रार्थीगण से झगडा करने पर उतारू हो गये तथा ऐलानिया धमकी भी दी कि अब जोत लगाने पर मेढ तोडकर तेरी जमीन पर अधिक अवैध कब्जा करेगें, साथ ही रिकॉर्ड में दर्ज रास्ते का उपयोग नहीं करने देंगें। कोर्ट, पुलिस तेरी कोई मदद नहीं करेगा। प्रार्थीगण के पास परिवार के भरण-पोषण का एकमात्र जरिया यह हिस्से की आराजी भूमि है। बरसात शुरू होने के उपरान्त खेतों में जोत लगने और खेती बुवाई का समय भी हो जावेगा, तब सीमाज्ञान से पत्थरगढी संभव नहीं हो सकेगी। अतः निवेदन है कि उक्त आराजी भूमि खसरा सं. 470/1040 एवं 468 की चारों दिशाओं में सीमाज्ञान कर पत्थरगढी करने एवं रिकॉर्ड में दर्ज रास्ते को रिकॉर्ड अनुसार उपयोग में लेने हेतु उचित आदेश करें।



प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र पंजीबद्ध किया जाकर अप्रार्थीगण को वास्ते जवाब नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी सं. 2 लगायत 7 की ओर से नोटिस की तामील के बावजूद कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया। अप्रार्थी सं. 1 तहसीलदार मण्डावर ने जवाब प्रस्तुत किया कि आराजी खसरा सं. 1040/470 रकबा 0.04 हैक्टे., 468 रकबा 0.58 हैक्टे., कुल खसरे 2 कुल रकबा 0.62 हैक्टे. भूमि स्थित ग्राम गढ़हिम्मतसिंह तहसील मण्डावर जिला दौसा जमाबन्दी सम्वत् 2074-2077 (ऑनलाइन जमाबन्दी) के अनुसार राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीगण के नाम दर्ज रिकार्ड है। प्रार्थीगण के आवेदन पर उक्त खातेदारी भूमि का तहसील कार्यालय के आदेश क्रमांक भू.अ./2023/669 दिनांक 11.05.23 के द्वारा गठित राजस्व टीम ने मौके पर उपस्थित व्यक्तियों की मौजूदगी में दिनांक 18.05.23 को सीमाज्ञान कर निशानात लगाये। राजस्व टीम द्वारा सीमाज्ञान के उपरान्त लगाये गये निशानात के आधार उक्त भूमि के पत्थरगढी के आदेश दिये जाते है तो अप्रार्थी सं. 1 को कोई आपत्ति नहीं है।


उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

प्रार्थना पत्र पर अभिभाषक प्रार्थी की बहस सुनी गयी। उनके द्वारा प्रार्थना पत्र में उल्लिखित तथ्यों को दोहराया गया तथा प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। प्रार्थना पत्र, प्रस्तुत खाता की नकल जमाबंदी का एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया एवं बहस अभिभाषक प्रार्थी पर मनन किया। जमाबन्दी सम्वत् 2074 से 2077 के अनुसार, ग्राम गढहिम्मतसिंह तहसील मण्डावर जिला दौसा में स्थित आराजी खसरा सं. 1040/470 तथा 468 कुल खसरे 2 कुल रकबा 0.62 हैक्टे. के प्रार्थीगण दर्ज रिकार्ड खातेदार है। उक्त आराजीयात का तहसीलदार मण्डावर द्वारा गठित टीम के द्वारा दिनांक 18.05.23 को सीमाज्ञान किया जा चुका है तथा सीमाज्ञान अनुसार पत्थरगढी के आदेश दिये जाने पर तहसीलदार मण्डावर ने अनापत्ति व्यक्त की है। प्रार्थीगण अपने खाते की उक्त कृषि भूमि की पत्थरगढी कराने के अधिकारी है। इससे राजस्व अभिलेख में किसी भी पक्षकार के किसी प्रकार के हक व अधिकार तय नहीं होते है तथा न किसी प्रकार से अधिकार निर्धारित किये जाते है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128




राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाना उचित है।

आदेश

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाकर ग्राम गढहिम्मतसिंह तहसील मण्डावर जिला दौसा में स्थित खसरा सं. 1040/470 तथा खसरा सं. 468, कुल रकबा 0.62 हैक्टे. के लिये पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढी के लिये भू. अ. निरीक्षक मण्डावर को 2000/- रुपये फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। लिखित सहमति पश्चात प्रार्थीगण की उपस्थिति में ही पत्थरगढी की कार्यवाही सम्पन्न की जावें। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा करावें। उक्त आदेश के तहत किसी प्रकार से राजस्व रिकार्ड में फेरबदल नहीं किया जावें। उक्त खातेदारी भूमि के संबंध में अन्य न्यायालयों में कार्यवाही विचाराधीन होने एवं स्थगन होने पर पत्थरगढी कार्य नहीं किया जावें। अतः भू. अ. निरीक्षक मण्डावर मौके पर उपस्थित प्रार्थीगण एवं पडोसियों की उपस्थिति में पत्थरगढी कर पर्चा मौका मय मानचित्र प्रस्तुत करे। पत्थरगढी के लिये तहसीलदार मण्डावर को पालनार्थ लिखा जावे।

निर्णय लिखाया जाकर दिनांक 26.12.24 को सरे इजलास सुनाया गया।


(अमित कुमार वर्मा) R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)